24.09.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। बार पारी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2024/186

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:41:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 93/2024 GCMS:-2024/186 **दायर दिनांक 02–04–2024**

बेगराज उर्फ बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––––– वादी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

2–श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय , ओरियन्टल बैंक कार्मस विलोपित पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––––– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– रामनारायण जालप अभिभाषक वादी

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 24.09.2024

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी के नाम से वाके चक 1 बी एम एम पटवार हल्का बीरमाना तहसील सूरतगढ के खाता सं0 37/31 के प0न0 217/61 मु0न0 8 के किला न0 13–14–16–17–18/ 1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। जेरवाद रकबा मे वादी का नाम बेगराज पुत्र श्री किसनाराम दर्ज है । जबकि सरकारी रिकार्ड में जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड , निर्वाचन आयेग द्वारा जारी पहचान–पत्र, बैंक खाता , वादी के नाम से अन्य कृषि भूमि में सभी प्रकार के दस्तावैजो में वादी का नाम बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम अंकित है । वादी का नाम जमाबन्दी में बेगराज व अन्य दस्तावैजो में बेगाराम अंकित है । जिससे यह साबित है कि वादी को दो नामों से पुकारा जाता है । इसलिए वादी का नाम बेगराज पुत्र श्री किसनाराम के स्थान पर बेगराज उर्फ बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम करवाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है । वादी के नाम भिन्न – भिन्न होने यानि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बेगराज पुत्र किसनाराम व अन्य दस्तावैजो में अलग नाम बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम होने से भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है । चूकि बैंक से ऋण , टयुबैल विधुत कनेक्शन, , पीएम किसान निधि , सहकारी समिति से सरकारी सहायतार्थ बीज आदि प्राप्त करने व फसल ऑन लाईन बेचान करने पर जमाबन्दी व अन्य दस्तावैजो में नामों में भिन्नता होने से वादी किसी प्रकार से कोई सहायता आदि प्राप्त नही कर सकता है । इसलिए जैरवाद भूमि की जमाबन्दी में वादी अपना नाम बेगराज पुत्र किसनाराम के स्थान पर बेगराज उर्फ बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम दुरूस्त करवाने का कानूनन हकदार है ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार राज उपस्थित हुये। पेरोकार राज ने अपना जबाब दावा पेश कर वादी के नाम दुरूस्त में कोई आपत्ति पेश नही की गई । साक्ष्य जिसमें वादी एवं गवाह नन्दलाल द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावैजी साक्ष्य में सरपंचएव डायरेक्टर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गया ।

वादी की बहस सुनी गई । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावैजो के आधार पर वादी के निवेदन करते हुये बताया कि जैरवाद रकबा एवं सार्वजनिक दस्तावैजो में वादी के नाम में एकरूपता नही है । जमाबन्दी में वादी का नाम बेगराज पुत्र श्री किसनाराम दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावैजो में बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम दर्ज है । इसलिए वादी जैरवाद रकबा में नाम दुरूस्त करवाना चाहता है ।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का अवलोकन किया व मनन किया गया वादी के नाम जमाबन्दी में बेगराज पुत्र श्री किसनाराम दर्ज है । जबकि अन्य दस्तावैजो में वादी का नाम बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम अंकित है । जबकि जमाबन्दी और अन्य दस्तावैजो में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को सहायता मिलने से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए वादी का नाम संशोधित किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि वाके चक 1 बी एम एम पटवार हल्का बीरमाना तहसील सूरतगढ के [illegible] 37/31 [illegible] 217/61 मु0न0 8 के किला न0 13–14–16–17–18/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि [illegible] नाम बेगराज उर्फ बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये [illegible] इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । पर्चा [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.09[illegible] को खुले [illegible] में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:41:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.
अनवान :

बेगराज उर्फ बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––––– वादी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

2–श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय , ओरियन्टल बैंक कार्मस विलोपित पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––––– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं0 93 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषकगण **रामनारायण जालप वादी** राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 1 बी एम एम पटवार हल्का बीरमाना तहसील सूरतगढ के खाता सं0 37/31 के प0न0 217/61 मु0न0 8 के किला न0 13–14–16–17–18/1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में वादी का नाम बेगराज उर्फ बेगाराम पुत्र श्री किसनाराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25.09.24 को जारी की गई ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.09.30 16:41:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)